कार्यालय – प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ....

क्रमांक : दिनांक :

कार्यालय आदेश

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी, मा. शि. सिरोही के कार्यालय आदेशांक : जिशिअ/मा/सिरोही/संस्था–2/2016/ /दिनांक के अनुसार स्थानीय विद्यालय के/की शिक्षिक/शिक्षिका .... का स्टाफिंग पैटर्न के तहत् विषय हिन्दीं लेवल – 2 में चयन किया जाकर रा.मा.वि./रा.उ.मा.वि. .... में पदस्थापित किया है।

इस हेतु श्रीमान्/श्रीमती .... को नवीन पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त करने के लिए श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी .... हेतु कार्यमुक्त किया जाता है।

श्रीमान्/श्रीमती .... श्रीमान् BEEO .... के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही करेगी।

क्रमांक : दिनांक :

प्रतिलिपि सूचनार्थ/पालनार्थ

1. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. सिरोही।
2. श्रीमान् ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. ....
3. श्रीमान् नॉडल प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि. ....
4. श्रीमान्/श्रीमती ....
5. कार्यालय प्रति।

www.rajteachers.com

कार्यालय – प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका ....

अदेय प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता हैं कि श्रीमान्/श्रीमती ....

1. इनके हस्ते का समस्त चार्ज प्राप्त कर लिया है।
2. इनके सत्र 2015–16 में.............................. आक. अवकाश बकाया है।
3. इनके हस्ते विद्यालय से संबंधित किसी भी प्रकार की सामग्री देय नहीं है।

अतः इन्हें अदेय प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

दिनांक :–

www.rajteachers.com

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)

No. F. 1(5)FD(Rules)/2009 Jaipur, dated : 13 MAY 2016

ORDER

Sub: Subscription to the Rajasthan Pensioners Medical Fund by the serving Government servants appointed to the Civil Services of the State before 01.01.2004

Ref: FD Order, even No. dated 05.06.2014, 28.10.2014, 20-04-2015 and 29-09-2015

In pursuance of the provisions in Para 14(1) of the Rajasthan State Pensioners' Medical Concession Scheme, 2014, the Governor is pleased to order that the rates of subscription to the Rajasthan Pensioners' Medical Fund by the serving Government servants appointed to the Civil Services of the State before 01-01-2004 shall be as under:-

(i) For those drawing pay in the running pay band and grade pay prescribed under the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 and in the scale of pay structure identical to the Rajasthan Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008 -

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs)
1	Employees drawing basic pay upto Rs.7000	188.00
2	Employees drawing basic pay above Rs.7000 but upto Rs.13000	313.00
3	Employees drawing basic pay above Rs.13000 but upto Rs.21000	470.00
4	Employees drawing basic pay above Rs.21000	625.00

(ii) For the Government servants, who are drawing pay in the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scale) Rule, 1998 and under other pay scale rules in force prior to 01-01-2006-

S. N.	Category of Government Servants	Subscription per month (Rs)
1	Employees drawing basic pay upto Rs.3000	188.00
2	Employees drawing basic pay above Rs.3000 but upto Rs.6000	313.00
3	Employees drawing basic pay above Rs.6000 but upto Rs.9000	470.00
4	Employees drawing basic pay above Rs.9000	625.00

This Order shall come into force with effect from 01-05-2016, i.e. salary of May, 2016 paid in June, 2016.

By order of the Governor,

(Bhaskar A. Sawant)
Secretary, Finance (Budget)

www.rajteachers.com

D:\OFFICE\RPMF\rpmf Subscription_9-10-14.docx

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प. 6(6)प्राशि/2011

जयपुर,दिनांकः 9\5\12

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

RTE 3/7/5

Put up CC

विषयः अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के क्रम में।

संदर्भः आपका पत्रांकः शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./विविध/3554/11-12/403 दिनांक 17.4.12

83 21/5/12

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित के क्रम में निर्देशानुसार लेख है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बीएलओ के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बीएलओ के कार्य एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित कियः गया है कि अध्यापकों द्वारा बीएलओ का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित कियें बिना अतिरिक्त कार्य के रूप में निष्पादित करना है । अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में बीएलओ के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

P.S.C. Attested

सहायक निदेशक (आर.टी.ई.)
निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

भवदीय,

शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

math 1.7.16

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

Most Important क्रमांक–शिविरा / प्रारं / शिक्षक–संस्था / एफ.2 / निर्देश / प्र.नि. / 2016 दिनांक : 01/07/

समस्त उपनिदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा

स्मरण पत्र नं. 01

विषय–गैर शैक्षिक कार्यो में कार्य व्यवस्थार्थ / प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित शिक्षकों को अपने मूल पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण कराने के संबंध में।

प्रसंग–इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक: 20.5.16

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र का अवलोकन करने का श्रम करें। इसके तहत लिखा गया था कि विभाग में कार्यरत शिक्षक अपने मूल पदस्थापित स्थान से अन्य विभाग जिला कलक्टर, उपखण्ड, तहसील, निर्वाचन, जिला परिषद व पंचायत समिति कार्यालय अथवा विभाग के कार्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 की अवहेलना कर प्रतिनियुक्ति पर चल रहें है। इस अधिनियम की धारा 27 में यह प्रावधान है कि किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विभीषिकी राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।

शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यो से इतर गैर–शैक्षिक कार्यो में लगाया जाता है, चुनाव संबंधी कार्य संपादित हो जाने के उपरांत भी लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रहते है। जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है। **इस संबंध में इस कार्यालय स्तर व राज्य सरकार स्तर से भी अनेक बार निर्देशित किये जाने तथा यहां तक कि माह फरवरी 2016 से वेतन आहरित नहीं किये जाने के निर्देश के उपरांत भी बहुत से शिक्षक आज भी गैर शैक्षिक कार्यो में कार्य व्यवस्थार्थ / प्रतिनियुक्ति पर है।**

इस संबंध में लेख है कि समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारंभिक शिक्षा अपने मण्डल के मण्डल अधिकारी को पत्र में संलग्न प्रपत्र में चाही गई सूचना प्रेषित करेंगे तथा उपनिदेशक,प्रारंभिक शिक्षा अपने मण्डल के जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त सूचना संकलित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेंगे ।

–: प्रपत्र :–

क्र.सं	जिले का नाम	उक्त आदेशों की पालना में कितने शिक्षकों ने मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया	उक्त आदेशों के उपरांत भी वर्तमान में कितने शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है	इन में से कितने शिक्षकों का वेतन माह फरवरी 16 से रोका गया(आदेश की प्रति संलग्न करें)
1.	2.	3.	4.	5.

वांछित सूचना आपकी ओर से प्राप्त होनी अपेक्षित है। एतद् द्वारा पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है वांछित सूचना संलग्न प्रपत्र में अविलंब भिजवाने का श्रम करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

अतिरिक्त निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार), प्रा.मा. एवं भाषा विभाग,जयपुर
- निजी सचिव, शासन सचिव, प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय,जयपुर ।

अतिरिक्त निदेशक,
प्रारं.शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) नागौर
क्रमांक :– 293 दिनांक 1-7-2016
समस्त B.E.E.O. नागौर
संलग्न प्रपत्र में सूचना इस कार्यालय को भिजवावें

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक नागौर

www.rajteachers.com

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा

कार्यालय-आदेश

जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिन कार्मिको की ड्यूटि निर्वाचन कार्य हेतु बूथ लेवल अधिकारी (बी0एल0ओ0) के रूप में लगी है तथा उन्हें राजकीय अवकाशों के दिनों में निर्वाचन सम्बन्धित कार्य हेतु लगाया जाता है उन्हें राजकीय अवकाश के दौरान कार्य करने की अवधि में क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा-प्रथम, भीलवाड़ा

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा

क्रमांक:जिशिअ/प्राशि/भील/सामान्य/निर्वाचन/2009/382 दिनांक 17.03.2009

प्रतिलिपि सूचनार्थ एंव पालनार्थः-

01. जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
02. समस्त उपखण्ड अधिकारी जिला भीलवाड़ा
03. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक
04. समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी जिला भीलवाड़ा को देकर लेख है कि उक्त आदेश को समस्त विद्यालयों में प्रसारित करावें ।
05. रक्षित प्रति ।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा-प्रथम, भीलवाड़ा

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, भीलवाड़ा

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/प्रारं/शिक्षक–संस्था/एफ.2/प्र.नि./निर्देश/2016 दिनांक 21/6/16

समस्त उपनिदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा

अत्यावश्यक

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रारंभिक शिक्षा,

विषयः–मतदाता सूचियों में शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान 2016 बूथ लेवल अधिकारी के पद पर नियुक्त शिक्षकों के संबंध में।
प्रसंगः–भारत निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक 23/2016–ईआरएस दिनांक 27.02.16 एवं कार्यवाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,जयपुर के प3(2)(1)रोल/निर्वा/2015 /पार्ट II/NERP/1869 दिनांक 10.5.11 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा निर्देशानुसार मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण हेतु राष्ट्रीय ,अभियान 2016 का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के सफल क्रियान्यन हेतु फील्ड स्तर पर बूथ लेवल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में लगभग 70–75 प्रतिशत बूथ लेवल अधिकारी शिक्षकों में से है, जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1960 की धारा 13(बी) के अन्तर्गत नियुक्त है।

अभियान की अवधि में (ग्रीष्मावकाश) माह–मई–जून में राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक अवकाश रहेगा जबकि यह कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे बूथ लेवल अधिकारी शिक्षक जो स्वेच्छिक रूप से अवकाश अवधि में अभियान के अन्तर्गत कार्य किया है, उन्हें ग्रीष्मावकाश अवधि (माह मई–जून) में अवकाश के बदले कार्य करने के लिए **राजस्थान सेवा नियम 92(बी) के अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश एवं शीलकालीन अवकाश के दिनों में अध्यापकों द्वारा राज्यकीय कार्य करने पर उनका उपार्जित अवकाश देने का नियम में स्पष्ट प्रावधान है।** उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बीएलओं को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर इस अवकाश में किए गए कार्य दिवसों के बदले की जावेगी। तदनुसार कार्यवाही अमल में लायी जाय।

(जगदीश चन्द्र पुरोहित)
I.A.S.
निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

- शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी सं. एस 3688 दिनांक 12.5.16 के संबंध में।
- कार्यवाक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर को प्रासांगिक पत्र के संबंध में।
- निजी सचिव,निदेशक को शासन सचिव,माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर को डायरी सं. एस 3688 दिनांक 12.5.16 के संबंध में।

निदेशक,
प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय–आदेश

यह ध्यान में आया है कि जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी/एसडीएम द्वारा अध्यापकों को बीएलओ कार्य हेतु लगाये जाने पर अध्यापकों द्वारा विद्यालय समय में ही बीएलओं संबंधी कार्य कर, ड्यूटी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जा रहे है जो उचित एवं नियमानुकूल नहीं है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधिनस्थ कार्यालयों/संस्था प्रधानों को निर्देश जारी करें कि जो अध्यापक बीएलओं संबंधी कार्य कर रहे है वे विद्यालय समय के अतिरिक्त समय में ही उक्त कार्य को सम्पादित करावें ।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित की जावें ।

(बी.एल.स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–3/13406/प्रतिनियुक्ति/2016 दिनांक–02/03/2016

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, जयपुर को पत्रांक–प.12(18) प्राशि./2016 दिनांक–29.02.2016 के क्रम में ।
2– समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा–
3– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक–प्रथम/द्वितीय) –
4– प्रभारी विधानसभा कन्ट्रोल रूम,
5– रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

द्वितीय शनिवार के स्थान पर क्षतिपूर्ति अवकाश

क्रमांक : शिविरा/माध्य/छ/1249/73 दिनांक 15-1-74

राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग

प. 11 (14) शिक्षा/ग्रुप-2/73 जयपुर, दि. 1-12-1973

आज्ञा

राज्य सरकार के आदेशानुसार समस्त राजकीय कार्यालयों में माह के द्वितीय शनिवार का अवकाश रहता है, किन्तु विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक एवम् चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इस अवकाश का उपभोग इसलिए नहीं करने दिया जाता क्योंकि उस दिन विद्यालयों में अवकाश नहीं होता। अतः राज्य सरकार यह आदेश प्रदान करती है कि राजस्थान स्थित समस्त राजकीय विद्यालयों में कार्य करने वाले अराजपत्रित मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार के अवकाश के स्थान पर प्रत्येक माह एक दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत कर दिया जावे।

यह आज्ञा सामान्य प्रशासन (क) विभाग की सहमति से [illegible] कि उनकी अन्तर्विभागीय संख्या 410/प्रशा./क/73 दिनांक 17-11-73 के द्वारा प्राप्त हुई है, प्रसारित की जाती है।

ह. [illegible]

सहायक शासन सचिव

www.rajteachers.com

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005
सहायक निदेशक
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

FROM :
PHONE NO. :

रजिस्टर्ड नम्बर पता

6.6 एक दिन का चिकित्सीय अवकाश

बीमार होने के आधार पर यदि कर्मचारी एक दिन का अवकाश लेना चाहता है तो प्रायः यह सम्भव नही हो पाता कि कर्मचारी किसी डाक्टर के पास जाये और साधारण बीमारी के लिए उपचार कराये। ऐसी अवस्था में कर्मचारी के रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाणपत्र लाने में व्यावहारिक कठिनाई होती है। इस सम्बन्ध में कोई शासनादेश उपलब्ध नही है किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक दिन के चिकित्सीय अवकाश हेतु चिकित्सा प्रमाणपत्र आवश्यक नही है।

6.7 An Extract From the Judgement of the Supreme Court

C.A. Vaidialingam D.G. Palker and K.K. Mathew

Civil Appeal No 893 of 1968 March 17, 1972

Between

Associated Cement Companies Ltd.

and

Cement Wokers Kamdar Union Others

"Genarally speaking no workman will get himself treated by a doctor on the very first day of illness for minor ailments, no workman would go to a doctor for treatment and it would be a great hardship to the workman if a medical certificate from a qualified doctor is insisted upon for sick leave for a day's illness. From a parctical point of view we do not think that it would be expedient to insist that a workman should produce a medical certificate from a qualified doctor to avail himself of sick leave on the ground of illness."

www.rajteachers.com

संलग्न – उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(डॉ. गोविन्द शर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग

क्रमांकः प॰17(14)प्राशि/2015–पार्ट जयपुर,दिनांक 22 MAY 2015।

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर।

विषयः मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान– National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme (NERPAP) - 3 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 15 तक– बी.एल.ओ. के पद पर नियुक्त शिक्षकों के सम्बन्ध में।

संदर्भः निर्वाचन विभाग को पत्रांकः प.3(2)(1)रोल्स/निर्वा./2015/एनईआरपीएपी/1747 दिनांक 07.05.15

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र मय अनुलग्नकों की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण एवं प्रमाणीकरण हेतु राष्ट्रीय अभियान– National Electoral Rolls Purification and Authentication Programme (NERPAP) - 3 मार्च, 2015 से 31 जुलाई, 15 तक, में ऐसे बूथ लेवल अधिकारी शिक्षक जो स्वैच्छिक रूप से ग्रीष्मावकाश अवधि में कार्य करना चाहते है, को राजस्थान सेवा नियम के नियम 91(1) के अनुरूप तीन कार्य दिवस पर एक दिन का उपर्जित अवकाश देय होगा, जो किसी कलेण्डर वर्ष में देय अधिकतम 15 दिवस के उपार्जित अवकाश के अध्यधीन होगा।

उपरोक्तानुसार उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बी.एल.ओ. शिक्षकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगी।

अतः तद्नुसार तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर प्रति इस विभाग के साथ ही निर्वाचन विभाग को भी भिजवाने का श्रम करावें।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

Sd

(बी॰आर॰ चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान जयपुर को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शासन सहायक सचिव

www.rajteachers.com

मतदान के दिन वेतन सहित मिलेगी छुट्टी

श्रीगंगानगर| जिले की आठों नगरपालिकाओं में 17 अगस्त को होने वाले चुनाव को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है। यह आदेश जिले की सादुलशहर, पदमपुर, श्रीकरणपुर, केसरीसिंहपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और श्रीविजयनगर नगरपालिका क्षेत्र में लागू रहेंगे। कलेक्टर ने बताया कि मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्था में काम करने वाले कर्मचारी को जिसे लोकसभा और विधानसभा के लिए चुनाव में वोट डालने का अधिकार है, उसे वोट वाले दिन सवैतनिक अवकाश मिलेगा।

www.rajteachers.com

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) हनुमानगढ़

क्रमांकः–प.40 / 3 / एल / न.पा.आ.चु. / सामा. / 2014 / 18128 दिनांकः– 17 / 11 / 2014

–:आदेश:–

श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ.13(11)श्रम / वि0 / 2001 / 29996 दिनांक 12.11.2014 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में 46 नगर निकायों के आम चुनाव एवं 12 नगर निकायों के 13 वार्डो के उप चुनाव (सूची संलग्न) के कार्यक्रम की घोषणा की गई हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार मतदान दिनांक 22 नवम्बर, 2014 को होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 "ख" के अनुसार मतदान के दिन किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा / विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के अनुसार नगरपालिका संस्थाओं के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं।

अतः राज्य सरकार के निर्देशानुसार मतदान दिनांक 22.11.2014 (शनिवार) को होने के कारण नगरपरिषद् हनुमानगढ़ (शहरी क्षेत्र) में स्थित निजी या सार्वजनिक प्रतिष्ठानों / दुकान, औद्योगिक उपक्रम या कारोगार / व्यवसाय के नियोजकों को मतदान कार्यक्रमानुसार उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, साथ ही ऐसे कार्मिक, जो उक्त निर्वाचन वाले क्षेत्र के मतदाता है, परन्तु उस नगर निकाय क्षेत्र के बाहर कार्यरत है, उन्हे भी अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु मतदान दिवस दिनांक 22.11.2014 को सवैतनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

(पूर्ण चन्द्र किशन)
जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
हनुमानगढ़

क्रमांकः–प.40 / 3 / एल / न.पा.आ.चु. / सामा. / 2014 / 18129-18210 दिनांकः– 17 / 11 / 2014

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

1. श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक एफ.4(1)(3) / नपा / रानिआ / 14 / 8057 दिनांक 14.11.2014 के संदर्भ में।
2. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, बीकानेर।
3. श्रम आयुक्त, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक एफ.13(11)श्रम / वि0 / 2001 / 29996 दिनांक 12.11.2014 के संदर्भ में।
4. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर्स.......................................।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़।
7. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, हनुमानगढ़।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, हनुमानगढ़।
9. उपखण्डाधिकारी / तहसीलदार / विकास अधिकारी, पंचायत समिति हनुमानगढ़।
10. महाप्रबन्धक, जिला उधोग केन्द्र, हनुमानगढ़।
11. जिला श्रम कल्याण अधिकारी, हनुमानगढ़।
12. निरीक्षक, फैक्ट्री एवं बायलर हनुमानगढ़।
13. महाप्रबन्धक, स्पिनफैड / डेयरी हनुमानगढ़।
14. जिला स्तरीय अधिकारीगण...समस्त।
15. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, हनुमानगढ़ को भेजकर लेख है कि समस्त समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रसारित करावें।
16. ....।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)
हनुमानगढ़

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः- एफ.13(1)श्रम / वि0 / 2015 / 13765 जयपुर, दिनांकः 4/8/15

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा राज्य में विभिन्न जिलों में 129 नगर निकायों, 2 ग्राम पंचायतों के आम चुनाव एवं 3 नगर निकायों के 3 वार्डो के उपचुनाव (सूची संलग्न है) के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। कार्यक्रमानुसार नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं में आम चुनाव / उप चुनाव के लिए मतदान की तिथि 17.08.2015 निर्धारित की गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा / विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधान राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-28 के अनुसार नगरपालिका संस्थाओं एवं राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:-

"135 ख- मतदान के दिन कर्मचारियों को सवैतन अवकाश की मंजूरी-

(1) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपकम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती।

(3) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो 500/-तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः राज्य सरकार सम्बन्धित नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में "मतदान दिवस दिनांक 17.08.2015" के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

(रजत कुमार मिश्र)
श्रम आयुक्त,
राजस्थान, जयपुर।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांकः एफ.4(1)(1)/नपा/रानिआ/15 16/ 5801 दिनांकः 5/8/15

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(अशोक कुमार जैन)

219
1/8/15

क्रमांकः एफ.7(1)न.पा.चु/ ..../2015/1364 दिनांक : 6-8-2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा ....(प्रकोष्ठ)..........(न.पा.चु.)
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / रिटर्निंग अधिकारी (न.पा.) (SDO) .... नगर पालिका ....
3. सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी / सहायक रिटर्निंग अधिकारी(न.पा.)(तहसीलदार) .... नगर पालिका ....
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका ....
5. उप श्रम आयुक्त, पाली

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
(अति. जिला कलक्टर) पाली

www.rajteachers.com

कार्यालय, निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांक शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई. / विविध / 3554 / 12–13 / 51 दिनांकः– 1/6/12

प्रेषक :
हर सहाय मीणा IAS
निदेशक

प्रेषिती :
उपनिदेशक
प्रारंभिक शिक्षा
जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर /
चुरू / भरतपुर / उदयपुर

विषयः– अनिवार्य एवं निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुरूप प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को बी.एल.ओ. कार्य से मुक्त करने के संबंध में।

प्रसंगः– शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग का पत्रांक प.6(5)प्राशि / 2011 / जयपुर दिनांक 09.05.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के क्रम में अध्यापक को बी.एल.ओ. के रूप में तभी नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य विभाग का कर्मचारी उपलब्ध न हो। बी.एल.ओ. के कार्य एवं दायित्व के विषय में भी यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अध्यापकों द्वारा बी.एल.ओ. का कार्य सामान्य अध्यापन कार्य को बाधित किये बिना अतिरिक्त कार्य के रूप में निष्पादित करना है। अध्यापक सामान्य अध्यापन समय के बाद अथवा अवकाश के दिनों में बी.एल.ओ. के कार्य को निष्पादित करेगा ताकि अध्यापन कार्य पर विपरित प्रभाव नही पडे इसलिए मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

अतः उक्त आदेशों की अनुपालना अपने मण्डल के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में करवाया जाना सुनिश्चित करें।

निदेशक 31/5/12

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन उपसचिव, प्रारंभिक शिक्षा विभाग शासन सचिवालय जयपुर को उनके पत्रांक प. 6(5)प्राशि / 2011 / जयपुर दिनांक 09.05.12 के क्रम में।
2. जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा ....
3. अनुभाग अधिकारी पंचायत राज अनुभाग कार्यालय हाजा।
4. अनुभाग अधिकारी शैक्षिक अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. निजी सचिव निदेशक महोदय कार्यालय हाजा।

उपनिदेशक(आर.टी.ई.)

www.rajteachers.com

D:\new backup\Backup D\Other\New Rte.docx

(T45) (150)

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / प्रारं / आर.टी.ई. / विविध / 3554 / 11–12 / 150 दिनांकः– 18/10/11

जिला कलेक्टर
समस्त

विषयः–निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 धारा 27 अन्तर्गत शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाने बाबत्।

महोदय,

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (धारा 27) में यह प्रावधान है कि **"किसी भी शिक्षक को दस वर्षीय जनसंख्या जनगणना, विभीषिका राहत कर्तव्यों या यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या राज्य विधान मण्डलों या संसद के निर्वाचनों से संबंधित कर्तव्यों से भिन्न किसी गैर–शैक्षिक प्रयोजनों के लिये अभिनियोजित नहीं किया जायेगा।"**

निदेशालय को विभिन्न स्तरों से निरन्तर यह परिवेदनाएं प्राप्त होती हैं कि शिक्षकों को उक्त वर्णित कार्यों से इतर गैर–शैक्षिक कार्यों में लगाया जाता है जिससे शाला में शिक्षण कार्य बाधित होता है। अतः आपसे अनुरोध है कि शिक्षकों को गैर–शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जाये। यदि आपके एवं आपके अधिनस्थ कार्यालयों में आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य हेतु शिक्षक को लगाया हुआ है तो कृपया उसे अविलम्ब संबंधित शाला हेतु कार्यमुक्त करवाने का श्रम करें।

सादर।

भवदीय

ह०—
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपिः–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा को निर्देशित किया जाता है कि वे यह पूर्ण रुप से सुनिश्चित करें कि आर.टी.ई. अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अतिरिक्त उनके जिले के किसी भी विद्यालय के किसी भी शिक्षक को गैर शैक्षिक कार्य में किसी अन्य कार्यालय में नहीं लगाया जावे।
2. समस्त उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करनें की सख्त सतत मोनेटरिंग करेगें।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

www.rajteachers.com

158

अति–आवश्यक

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/आर.टी.ई./यास 7819/6 दिनांकः–21/6/12

प्रेषकः
हर सहाय मीणा IAS
निदेशक

प्रेषितीः
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा
....

विषयः– शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यो में नहीं लगाये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस सम्बन्ध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 27 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना,आपदा राहत कार्यो, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधानसभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यो के अतिरिक्त कोई और कार्य नही दिया जावेंगा। मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र संख्या एफ. 21(19)शिक्षा/ग्रुप–I/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यो में नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते है कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यो में नही लगाया जावें तथा इस बाबत पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भिजवावें कि जिले में कोई भी शिक्षक गैर शैक्षिक कार्यो में नहीं लगा हुआ है। ताकि माननीय उच्च न्यायालय को पालना रिपोर्ट से अवगत करवाया जा सकें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

ह०
निदेशक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर।
2. उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा ....
3. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग/शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा।

निदेशक
21.6.12

D:\ New rte 1

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/प्रारं/विधि/ए–1/जय/6538/बी/2012 दिनांकः– 14-6-12

प्रेषकः–

हर सहाय मीणा I.A.S
निदेशक

प्रेषितीः–

समस्त
उप निदेशक/
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा
..................................।

पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं
राजस्थान, बीकानेर।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा(विधि)
जयपुर/जोधपुर।

विषयः–याचिका संख्या 7819/12 श्री सुरेशचन्द्र मीणा बनाम सरकार के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.05.12 की पालना बाबत्।

–00–

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों से गैर शैक्षिक कार्य लिये जाने पर रोक लगाये जाने हेतु निर्देशित किया है। इस संबंध में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार विधेयक–2009 की धारा 27 के द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि "किसी भी शिक्षक को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना, आपदा राहत कार्यों, पंचायतीराज संस्थाओं, स्थानीय निकायों, विधान मण्डलों, विधान सभा और संसदीय चुनावों से जुड़े कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं दिया जावेगा"। माननीय मुख्य सचिव महोदय के परिपत्र क्रमांक एफ–21(19)शिक्षा/ग्रुप–1/प्राशि/09 दिनांक 20.04.12 के द्वारा भी अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों मे नहीं लगाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः विषयान्तर्गत प्रकरण में पारित निर्णय के क्रम में यह निर्देश दिये जाते हैं कि विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को गैर शैक्षिक कार्यों में नहीं लगाया जावे तथा इस बाबत् पालना रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

Sd
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. सहायक निदेशक शिक्षक संस्थापन अनुभाग कार्यालय हाजा को मय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।
2. अनुभाग अधिकारी अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुभाग कार्यालय हाजा को मय निर्णय प्रति के वास्ते आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है।

निदेशक
13.6.12

www.rajteachers.com